

मिसल नं. 2/134/2020

तारीख रजू.....

नत्थी \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_ सहाबसिंह बगौरा \_\_\_\_\_


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

14.08.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।


अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 328, 897, वाके तुसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 27.10.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 27.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

7/9/2020

पत्रावली काज मूल वाद के साथ पेश हुई। जज ने पत्रावली - पत्र पेश कर कर वाद के विचारित कर लिया है। अब पत्रावली - पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली पत्र मर्यादा की शर्तों में किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ मर्यादा में पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

नत्थी/सिंह  
